महत्वपूर्ण/वित्तीय स्वीकृति

संख्या-805/2024/005-04SA23-1773921

प्रेषक,

महावीर प्रसाद,
अनु सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगर निकाय निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 15 मार्च, 2024

विषय:- उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतो) में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं का विकास हेतु 'वंदन' योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतो) में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं का विकास हेतु 'वंदन' योजना हेतु नगर विकास विभाग के अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक 2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-11-प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान के अन्तर्गत धनराशि रू0-250.00 करोड़ प्राविधानित की गयी है, जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या-2996/2023/001-04SA23-1738288, दिनांक 12.12.2023 द्वारा धनराशि रू0-50.00 करोड़, आपके निवर्तन पर रखते हुए, शासनादेश संख्या-444/2024/002-04SA23-1738288, दिनांक 12.02.2024 द्वारा 16 जनपदों की 31 परियोजनाओं हेतु धनराशि रू0-50.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-620/2024/003-04SA23-1738288, दिनांक 28.02.2024 द्वारा 44 जनपदों की 81 परियोजनाओं हेतु धनराशि रू0-12015.87 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-718/2024/004-04SA23-1773921, दिनांक 07.03.2024 द्वारा 14 जनपदों की 25 परियोजनाओं हेतु धनराशि रू0-3899.59 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतो) में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं का विकास हेतु 'वंदन' योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक 2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-11-प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान के अन्तर्गत धनराशि रू0-25000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-4084.54 लाख में से 01 जनपद की 01 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि रू0-61.04 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0-61.04 लाख (रूपये इकसठ लाख चार हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की अनुमति प्रदान करती है:-

क्रमांक	जनपद	चयनित स्थल	प्रकृति/ महत्व/ विशिष्टता	कराये जाने वाले कार्य	वित्तीय स्वीकृति धनराशि (रूपये लाख में)
1	सीतापुर	नगर पालिका परिषद मिश्रित-नैमिषारण्य, सीतापुर में अवस्थित दधीचि कुण्ड पर अवस्थापना सुविधाओं का कार्य	धार्मिक/पौराणिक	वाटर किओस्क, छादक, प्रकाश व्यवस्था, बेन्च, सौन्दर्यीकरण इत्यादि	61.04
				कुल योग-	61.04

(i) उक्त स्वीकृतियॉ वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु निर्गत की जा रही है।

(ii) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ, उ0प्र0 द्वारा संबंधित जिलाधिकारी को सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा उक्त धनराशि को 02 समान किश्तों में संबंधित निकाय को प्रदान की जायेगी। प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के कम से कम 75 प्रतिशत का उपयोग/व्यय हो जाने के उपरान्त संबंधित निकाय द्वारा सक्षम तकनीकी अधिकारी के गुणवत्ता प्रमाण पत्र के साथ कराये गये कार्य से संबंधित फोटोग्राफ एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने पर ही जिलाधिकारी द्वारा अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(iii) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(iv) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय की होगी तथा संबंधित जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(v) स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(vi) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा ।

(vii) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा ।

(viii) संबंधित जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय, यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृति किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(ix) संबंधित जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(x) उक्त प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संबंधित जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह

कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृति है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(xi) वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेशों के क्रम में कराये गये कार्यों का नियमानुसार गुणवत्ता परीक्षण करने के उपरान्त संबंधित जिलाधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त संबंधित निकायों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(xii) उक्त धनराशि जिस मद के लिये स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में उसी सीमा तक व्यय की जायेगी। उक्त मद में बिना शासन की अनुमति के व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiii) निकाय स्तर पर कार्यों को गुणवत्तापूर्ण कराये जाने का दायित्व संबंधित अधिशासी अधिकारी का होगा। संबंधित अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्यों के विषयगत योजना से संबंधित डायरी तैयार कर दिन प्रति दिन के कार्यों का विवरण दर्ज कराते हुए नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा।

(xiv) जिला स्तर पर विषयगत योजना हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा अपने जिले से संबंधित समस्त योजनाओं का त्रैमासिक रूप से कराये गये कार्यो का निरीक्षण कराते हुए गुणवत्ता का परीक्षण किया जायेगा और निरीक्षण रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

(xv) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

(xvi) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मार्च 2023 यथा संशोधित आदेश दिनांक 19.09.2023 में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये-61,04,000 (रुपये इकसठ लाख चार हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217808001100 प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

Digitally Signed by महावीर प्रसाद
Date: 15-03-2024 21:02:28
Reason: Approved

संख्या- 805/2024/005-04SA23, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
3-मण्डलायुक्त, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
4-जिलाधिकारी सीतापुर, उत्तर प्रदेश।
5-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (शहरी) लखनऊ।
6-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8- समस्त संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

9- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 ।
12- कम्प्यूटर सेल को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव,
नगर विकास विभाग।